कुल संख्या कितनी है और उनके वेतनमान क्या क्या हैं;

(ख) उनमें से हिन्दी तथा अंग्रेजी के संवाददाता कितने-कितने हैं और दोनों प्रकार के संवाददाताओं के वेतनमान क्या-क्या हैं;

(ग) हिन्दी और अंग्रेजी भाषी लोगों की संख्या के अनुपात में तथा हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषाओं की संवैधानिक स्थिति को देखते हुए क्या अंग्रेजी तथा हिन्दी के संवाददाताओं का अनुपात 1:10 रखने का है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या अंग्रेजी संवाददाताओं को इस आशय के अनुदेश जारी करने का विचार है कि वे समाचार अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में भेजें; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या** LT—326/69]

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचारणीय नहीं है।

(घ) ऐसे अनुदेश सम्भव नहीं हैं तथापि संवाददाता समाचार अंग्रेजी या हिन्दी में भेज सकते हैं परन्तु दोनों भाषाओं में नहीं, क्योंकि इससे अतिरिक्त खर्चा होगा। अंग्रेजी के कई संवाददाता जो हिंदी जानते हैं अपने कुछ समाचारों को हिंदी में भी भेजते हैं।

आकाशवाणी में ठेका प्रणाली समाप्त करना

2877. **श्री रणजीत सिंह :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री सूरज भान :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री राजगोपाल शालवाले :

क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी में ठेका प्रणाली को समाप्त करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) से (ग) : मामला विचाराधीन है।

फिल्म सेंसर बोर्ड

2878. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री 27 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5428 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म सेंसर बोर्ड को सरकार द्वारा सुझाये गये सिद्धांतों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या कोई ऐसा चलचित्र है जो उक्त बोर्ड द्वारा पास नहीं किया गया था परन्तु बाद में केन्द्रीय सरकार ने उसे दिखाये जाने की अनुमति दी अथवा कोई ऐसा चलचित्र है जो उक्त बोर्ड द्वारा पास कर दिया गया था परन्तु उसे बाद में सरकार ने दिखाये जाने की अनुमति नहीं दी; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे चलचित्रों के नाम क्या-क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री श्री (इ० कु० गुजराल): (क) भारत के राजपत्र जी० एस० आर० 168, तारीख 6 फरवरी, 1960 में प्रकाशित केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को जारी किए गए निर्देशों की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या** LT 327/69] इन निर्देशों में सैंसर बोर्ड को यह बताया गया है कि उसे सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करते समय किन-किन सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिए।

(ख) और (ग). 1965-66, 1966-67 और